निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक : / बा0वि0परि0 / योजना / 2018–19, दिनांक : 28 मई, 2018

आदेश

निदेशालय पत्र संख्या सी–330 / बा0वि0परि0 / योजना / 2018–19, दिनांक 07 मई, 2018 एवं शासन के पत्र संख्या–959 / 60–2–18–2 / 1(116) / 17, दिनांक 16 मई, 2018 द्वारा आपको अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उपरोक्त नये दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 05 एवं 06.06.2018 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से निम्नांकित विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं आपूर्तिकर्ता फर्मो / कम्पनियों के साथ मण्डलवार बैठक निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ के सभाकक्ष में आयोजित की गयी है :–

क्र0 सं0	मण्डल / जनपद का नाम	बैठक की तिथि
1	**आगरा** (आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद एवं मथुरा)	05.06.2018
2	**अलीगढ़** (अलीगढ़, एटा, हाथरस एवं कासगंज)	
3	**इलाहाबाद एवं मिर्जापुर** (इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही)	
4	**आजमगढ़** (आजमगढ़, बलिया एवं मऊ)	
5	**बरेली** (बरेली, बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर)	
6	**बस्ती एवं गोरखपुर** (बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज)	
7	**चित्रकूट एवं झांसी** (चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन एव ललितपुर)	
8	**देवीपाटन** (बलरामपुर, गोण्डा, श्रावस्ती एवं बहराईच)	06.06.2018
9	**फैजाबाद** (फैजाबाद, अमेठी, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर एवं सुल्तानपुर)	
10	**कानुपर** (कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद एवं कन्नौज)	
11	**लखनऊ** (लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई एवं लखीमपुरखीरी)	
12	**मेरठ एवं सहारनपुर** (मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली)	
13	**मुरादाबाद** (मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर एवं सम्भल)	
14	**वाराणसी** (वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर एवं जौनपुर)	

उक्त बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु निम्नवत् है :–

एजेण्डा संख्या–1

आपूर्तिकर्ता फर्मो / कम्पनियों से सम्बन्धित बिन्दु

1. उत्पादन इकाई से परियोजना कार्यालय तक अब तक की गयी आपूर्ति।
2. परियोजना कार्यालय से आंगनवाड़ी केन्द्रों तक अनुपूरक पोषाहार के वितरण हेतु की गयी व्यवस्था।
3. परियोजना कार्यालय से आंगनवाड़ी केन्द्रों तक परिवहन की व्यवस्था।
4. मण्डल के किन–किन जनपदों में आपूर्ति की गयी है, उसकी अद्यतन स्थिति।

जिला कार्यक्रम अधिकारियों से सम्बन्धित बिन्दु :-

1. परियोजना कार्यालय पर अनुपूरक पोषाहार रखने हेतु गोदाम की व्यवस्था।
2. परियोजना कार्यालय पर पोषाहार प्राप्त करने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु पोषाहार के री–इश्यू की व्यवस्था।
3. आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार रखने की व्यवस्था।

एजेण्डा संख्या–2

उक्त के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ निम्न् बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जायेगी :-

1. पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत विगत 02 वर्षो के भुगतानों का शत–प्रतिशत मिलान। – **अपर निदेशक (वित्त)।**
2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्वित पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति। – **अपर परियोजना प्रबन्धक (ए0वाई0)/(के0)/(एस0)/जे0पी0सी0 एवं विशेष कार्याधिकारी**
3. मा0 न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति। **(विधि अधिकारी)**
4. समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की अद्यतन स्थिति। – **अपर निदेशक (वित्त), उप निदेशक एवं अपर परियोजना प्रबन्धक (के0)**

एजेण्डा संख्या–2 से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी जनपदों से सूचना प्राप्त कर संकलित करते हुए बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेगें।

अतः आपको निर्देशित किंया जाता है कि आप स्वयं उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ बैठक में निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या 1395-1400/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अधिकारी, मुख्यालय।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर सुसंगत अभिलेखों/सूचनाओं के साथ स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त उत्पादक फर्मो/कम्पनियों के निदेशक/पार्टनर को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 05 व 06.06.2018 को वह स्वयं उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर सुसंगत अभिलेखों/सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक